नीलामी समिति, जनपद न्यायालय, देवरिया।

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 6023/Admin (B-I) Section, Allahabad Dated:December,10 2025 के अनुपालन में एवं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के सम्मानित आदेश दिनांक– 05.01.2026 के अनुपालन मे न्यायालय परिसर मे दस कक्षीय न्यायालय भवन के आंगन मे, न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कक्ष सख्या–17, देवरिया के सामने पार्क के अन्दर न्यायालय परिसर मे रखे हुए निष्प्रयोज्य टूटे–फूटे फर्नीचर, मेज लकड़ी की कुर्सी, आलमारी एवं पंखा आदि जो उपयोग लायक नही है, की नीलामी दिनांक 17.01.2026 को दस कक्षीय न्यायालय भवन के केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय अपरान्ह 04.30 बजे नीलामी समिति की देख रेख मे नीलामी सम्पन्न होगी।

निष्प्रयोज्य टूटे–फूटे फर्नीचर, मेज लकड़ी की कुर्सी, आलमारी एवं पंखा आदि जो उपयोग लायक नही है, की नीलामी कार्यालय अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो0नि0वि0, देवरिया द्वारा प्रेषित मुल्यांकन आख्या दिनांकित 19.11.2025 जिसे माननीय उच्च न्यायालय के पत्र संख्या 6023/Admin (B-I) Section, Allahabad Dated:December,10 2025 के द्वारा नीलामी अनुमति प्राप्त हो चुकी है, को आधार मानकर मुल्यांकन कुल मु0 30,010.00/–(तीस हजार दस रुपये मात्र) से नीलामी प्रारम्भ की जाएगी, । इच्छुक व्यक्ति निम्न शर्तों के अधीन नीलामी की बोली मे भाग ले सकते है ।

नीलामी की शर्तेः–

1– प्रत्येक बोली बोलने वाले व्यक्ति को नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने से पूर्व निष्प्रयोज्य टूटे–फूटे फर्नीचर, मेज, लकड़ी की कुर्सी, आलमारी एवं पंखा आदि जो उपयोग लायक नही है, की नीलामी हेतु मु0 30,010.00/–(तीस हजार दस रुपये मात्र) की 10 प्रतिशत धनराशि मु0 03,001.00/–रु0 (तीन हजार एक रुपये मात्र) नकद धनराशि बतौर जमानत के रुप मे कार्यालय नजारत जजी, देवरिया मे जमा करना होगा। बिना जमानत की धनराशि जमा किये कोई भी व्यक्ति नीलामी मे भाग नही ले सकता है। जमानत की जमा धनराशि नीलामी की समाप्ति व बोली स्वीकृत न होने की दशा मे संबंधित व्यक्ति/बोलीकर्ता को वापस कर दिया जाएगा ।

2– निष्प्रयोज्य टूटे–फूटे फर्नीचर, मेज लकड़ी की कुर्सी, आलमारी एवं पंखा आदि की नीलामी मे सम्मिलित होने वाले व्यक्ति/ठेकेदार को हैसियत प्रमाण–पत्र एवं आपराधिक इतिहास से संबंधित शपथ–पत्र प्रस्तुत करना होगा।

3– कोई भी व्यक्ति/बोलीकर्ता किसी दूसरे व्यक्ति/बोलीकर्ता के लिए तब तक बोली नही बोल सकता, जब तक की नीलामी में अनुपस्थित व्यक्ति/बोलीकर्ता का लिखित प्राधिकार पत्र उसके पास न हो ।

4– उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति द्वारा नीलामी की 25 प्रतिशत धनराशि नीलामी समाप्त होने के तुरन्त बाद अग्रिम धनराशि के रुप मे तथा शेष धनराशि एक सप्ताह के अन्दर नकद नजारत अनुभाग जजी देवरिया मे जमा करना होगा । जमा न करने की दशा में नीलामी स्वतः समाप्त हो जाएगी और जमानत की धनराशि जब्त कर ली जाएगी ।

5– प्रत्येक उच्चतम बोली बोलने वाले बोलीकर्ता को अपने निवास के संबंध मे सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत निवास प्रमाण पत्र अथवा आधार कार्ड की स्व–प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।

6– जिस व्यक्ति का किसी वित्तीय वर्ष की नीलामी की धनराशि बकाया होगी वह व्यक्ति वर्तमान नीलामी मे भाग लेने का हकदार नही होगा ।

7– नीलामी मे भाग लेने/बोली बोलने वाले व्यक्ति दिनांक 17.01.2026 को

कार्यालय नजारत जज़ी, देवरिया मे पूर्वान्ह 12.00 बजे तक समस्त प्रपत्रो के साथ जमानत की धनराशि जमा किया जाना सुनिश्चित करे।

8– नीलामी समिति जजी देवरिया को यह भी अधिकार होगा कि किसी भी बोली को बिना कारण बताए अस्वीकार कर दें।

9– माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदन के पश्चात ही नीलामी की बोली अंतिम मानी जायेगी ।

सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
(विवेक कुमार सिंह–II),	(हरीराम), 06/01/26	(रवि यादव), 6/1/26
नीलामी समिति,	नीलामी समिति,	नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।	जजी, देवरिया।	जजी, देवरिया ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/नोटिस बोर्ड पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित किया जाय :–

1– सिस्टम ऑफिसर केन्द्रीय कम्प्यूटर कक्ष, देवरिया को जनपद न्यायालय के वेवसाईट पर अपलोड करने हेतु।

2– जनपद न्यायालय देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

3– कलेक्ट्रेट देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

4– जिला परिषद देवरिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।

5– अन्य सार्वजनिक स्थलो पर चस्पा हेतु ।

6– जिला सूचना अधिकारी को उक्त नीलामी की विज्ञप्ति समाचार पत्रों मे निःशुल्क प्रकाशित कर कार्यालय नजारत जजी, देवरिया को प्रेषित किये जाने हेतु।

सदस्य,	सदस्य,	अध्यक्ष,
06.01.26		
(विवेक कुमार सिंह–II),	(हरीराम), 06/01/26	(रवि यादव), 6/1/26
नीलामी समिति,	नीलामी समिति,	नीलामी समिति,
जजी, देवरिया ।	जजी, देवरिया।	जजी, देवरिया ।